

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 18/2021

तारीख रजू:- 22.09.2021

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनूपसिंह

R.A.S.

रामफूल पुत्र जंगली जाति जाटव निवासी खिरकियान का पुरा तहसील सूरौठ
जिला करौली राजस्थान ----- अपीलान्त

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पाली, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली
3. सुपेदी देवी पत्नि अर्जुन जाति जाटव निवासी खिरकियान का पुरा तहसील
सूरौठ जिला करौली ----- रेस्पोजेन्टस

अपील नामान्तकरण सं० 133 दि० 05.12.2019

विरुद्ध ग्राम पंचायत पाली वगैराह

- उपस्थित:- 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट अपीलान्त
2. श्री राजवीरसिंह एडवोकेट रेस्पोजेन्ट नं०3

निर्णय

दिनांक :- 8-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने अपील
विरुद्ध रेस्पोजेन्टस पेश कर अपील के मद नं०1 में दर्ज किया है कि प्रार्थी
अपीलान्त के कब्जा काशत व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40
है०, 701 रकबा 0.82 है०, 733 रकबा 0.16 है०, 750 रकबा 0.24 है०, 779 रकबा
0.07 है०, 781 रकबा 0.07 है०, 920 रकबा 0.06 है०, 922 रकबा 0.10 है०, 935
रकबा 0.11 है० कुल किता 10 कुल रकबा 2.49 है० वाके ग्राम खिरकियान का
पुरा तहसील हिण्डौन, नवगठित तहसील सूरौठ में स्थित है, उक्त आराजीयात का
प्रार्थी/अपीलान्त 1/2 भाग का रिकोर्डेड खातेदार काशतकार है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 670 रकबा 40 एयर में अपने निहित हिस्सा 1/2 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 को रेस्पोजेन्ट नं03 को किया, जिसका विक्रय पत्र पुस्तक सं01, जिल्द संख्या 18 में पृष्ठ संख्या 188, कम संख्या 201903189100298 पर उप पंजीय सूरौठ के यहाँ पंजीबद्ध किया गया।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 28.06.2019 का विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी पाली द्वारा नामान्तकरण सं0 133 दिनांक 04.12.2019 को भरा गया, जिसमें खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है0, हिस्सा 1/2 दर्ज करना था, परन्तु हल्का पटवारी से नामान्तकरण भरते समय, अपील के मद नं01 में दर्ज समस्त आराजीयात कुल किता 10 कुल रकबा 2.49 है0 का 1/2 भाग रेस्पोजेन्ट नं0 3 के नाम भरा गया, जिसको ग्राम पंचायत पाली द्वारा दिनांक 05.12.2019 को स्वीकृत कर फँसल किया गया, और उक्त फँसलशुदा नामान्तकरण के मुताविक अगली जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम के स्थान पर रेस्पोजेन्ट नं03 का नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गया। जो कतई गलत खिलाफ कानून है।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि ग्राम पंचायत पाली द्वारा फँसल किया गया नामान्तकरण सं0 133 प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसे मुताविक विक्रय पत्र के नहीं खोला जाने के कारण दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण जेरे अपील जो सरपंच ग्राम पंचायत पाली द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना रिकार्ड अवलोकन किये मनमर्जी से राजनैतिक रंजिश के तौर पर साजवश फँसल किया गया, जो बिल्कुल गलत एवं शून्य व निष्प्रभावी है, जिसे खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अपील के मद नं06 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.07.2021 को जमाबन्दी की नकल लेने पर उक्त खोले गये, शून्य एवं निष्प्रभावी नामान्तकरण के बारे में जानकारी हुई तब प्रार्थी ने उसे सही कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरौठ के यहाँ पेश किया तो उन्होंने प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया

✓

और कहा कि सक्षम न्यायालय में नामान्तकरण के विरुद्ध अपील पेश करो, इसलिए अपीलान्त द्वारा उक्त अपील पेश करना आवश्यक हुआ।

अपील के मद नं07 में दर्ज किया है कि उक्त अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

अपील के मद नं08 में दर्ज किया है कि अपील एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत निश्चत कोर्ट फीस पर अन्दर म्याद पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 133 तारीखी 05.12.2019 को खारिज फरमाया जाकर खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खिरकियान का पुरा तहसील सूरौठ में निहित अपीलान्त का 1/2 हिस्सा का ही नामान्तकरण रेस्पोजेन्ट नं03 के हक में पुनः खोले जाने के आदेश फरमावें। जिसकी पालना हेतु एक तहरीर रेस्पोजेन्ट नं02 को जारी हो।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 11.07.2022 को रेस्पोजेन्टस सं03 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया।

वकील अपीलान्त ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2068 -71, नकल जमाबन्दी सं0 2072-75, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06. 2019 उनवानी रामफूल बहक श्रीमती सुपेदी देवी, नकल नामान्तकरण सं0 133 फैंसल दिनांक 05.12.2019 पेश किये हैं।

अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट नं03 के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट नं03 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्त की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोजेन्ट नं0 3 ने दौराने बहस अवगत कराया है कि अपीलान्त ने अपील म्याद बाहर पेश की है तथा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ पेश नहीं किया है। इसी विवादित आराजीयात के बाबत् अपीलान्त ने दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश कर रखे हैं, जो विचाराधीन है। अतः अपीलान्त की अपील म्याद बाहर होने के कारण खारिज फरमायी जावे।

अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट नं0 3 के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं० 2068 -71 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है०, 700 रकबा 0.40 है०, 701 रकबा 0.82 है०, 733 रकबा 0.16 है०, 750 रकबा 0.24 है०, 779 रकबा 0.07 है०, 781 रकबा 0.07 है०, 867 रकबा 0.21 है०, 920 रकबा 0.06 है०, 922 रकबा 0.10 है०, 935 रकबा 0.11 है० कुल किता 11 कुल रकबा 2.70 है० वाके ग्राम खिरकियान का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामफूल अर्जुन पि० जंगली जाति जाटव निवासी ग्राम खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा स्टेशन रोड हिण्डौन मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 उनवानी रामफूल बहक श्रीमती सुपेदी देवी के अनुसार रामफूल पुत्र जंगली जाति जाटव निवासी खिरकियान का पुरा तहसील हिण्डौन -विक्रेता अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को श्रीमती सुपेदी देवी पत्नि अर्जुन जाति जाटव निवासी खिरकियान का पुरा तहसील हिण्डौन में किया गया है तथा कब्जा मौके पर संभलाना भी अंकित है।

नकल नामान्तकरण सं० 133 फ़ैसल दिनांक 05.12.2019 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है०, 700 रकबा 0.40 है०, 701 रकबा 0.82 है०, 733 रकबा 0.16 है०, 750 रकबा 0.24 है०, 779 रकबा 0.07 है०, 781 रकबा 0.07 है०, 920 रकबा 0.06 है०, 922 रकबा 0.10 है०, 935 रकबा 0.11 है० वाके ग्राम खिरकियान का पुरा तहसील हिण्डौन के खातेदार रामफूल पुत्र जंगली हिस्सा 1/2 जाति जाटव निवासी खिरकियान का पुरा के स्थान पर सुपेदी देवी पत्नि अर्जुन हि० 1/2 जाति जाटव सा० देह खातेदार के हक में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 के आधार पर भरकर तस्दीक किया गया है जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 में आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है० में से खातेदार रामफूल पुत्र जंगली ने अपने हिस्सा 1/2 भाग का बेचान सुपेदी देवी पत्नि अर्जुन जाति जाटव के हक में किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 के आधार पर नामान्तकरण सं० 133 गलत रूप से भरकर दिनांक 05.12.2019 को किया गया है। उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर शेष आराजीयात में से अपीलान्ट का

हि01/2 ही समाप्त हो गया है जबकि खसरा नम्बर 670 को छोड़कर शेष आराजीयात को अपीलान्ट के द्वारा विक्रय नहीं किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072-75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है0, 700 रकबा 0.40 है0, 701 रकबा 0.82 है0, 733 रकबा 0.16 है0, 750 रकबा 0.24 है0, 779 रकबा 0.07 है0, 781 रकबा 0.07 है0, 920 रकबा 0.06 है0, 922 रकबा 0.10 है0, 935 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम खिरकियान का पुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी अर्जुन पुत्र जंगली हि01/2, सुपेदी देवी पत्नि अर्जुन हि01/2 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण सं0 133 फैंसल दिनांक 05.12.2019 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है0, 700 रकबा 0.40 है0, 701 रकबा 0.82 है0, 733 रकबा 0.16 है0, 750 रकबा 0.24 है0, 779 रकबा 0.07 है0, 781 रकबा 0.07 है0, 920 रकबा 0.06 है0, 922 रकबा 0.10 है0, 935 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम खिरकियान का पुरा तहसील हिण्डौन के खातेदार रामफूल पुत्र जंगली हिस्सा 1/2 जाति जाटव निवासी खिरकियान का पुरा के स्थान पर सुपेदी देवी पत्नि अर्जुन हि01/2 जाति जाटव सा0देह खातेदार के हक में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 के आधार पर भरकर तस्दीक किया गया है जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 में आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है0 में से खातेदार रामफूल पुत्र जंगली ने अपने हिस्सा 1/2 भाग का बेचान सुपेदी देवी पत्नि अर्जुन जाति जाटव के हक में किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 के आधार पर नामान्तकरण सं0 133 गलत रूप से भरकर दिनांक 05.12.2019 को तस्दीक किया गया है। उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर शेष आराजीयात में से अपीलान्ट का हि01/2 ही समाप्त हो गया है जबकि खसरा नम्बर 670 को छोड़कर शेष आराजीयात को अपीलान्ट के द्वारा विक्रय नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि नामान्तकरण सं0 133 पटवारी हल्का के द्वारा गलत रूप उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खिलाफ भरा गया है तथा गिरदावर हल्का ने भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 का अवलोकन किये बिना ही तुलना कर दी गई तथा सरपंच ग्राम पंचायत पाली ने भी बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन के ही नामान्तकरण सं.133 को दिनांक

05.12.2019 को तस्दीक कर दिया गया है। जबकि उक्त नामान्तकरण सं० 133 आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 0.40 है० में से विक्रेता रामफूल के हिस्सा 1/2 के स्थान पर केती सुपेदीदेवी पत्नि अर्जुन जाति जाटव के हक में भरकर तस्दीक करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 133 फैंसल दिनांक 05.12.2019 निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरुद्ध रेस्पोंडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं० 133 फैंसल दिनांक 05.12.2019 ग्राम खिरकियान का पुरा, ग्राम पंचायत पाली तहसील सूरौठ निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 उनवानी रामफूल बहक श्रीमती सुपेदी देवी के आधार पर विक्रीत भूमि का नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ४-१-२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली